



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269351
CG-DL-E-16012026-269351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2026/पौष 24, 1947

No. 30]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2026/PAUSHA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 30(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में, नियम 125-ग में, उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(8) सभी टाइप-I बसें, नए मॉडल के मामले में 1 अप्रैल, 2026 को और उसके बाद और सभी मॉडल के मामले में 1 अक्टूबर 2026, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-216 की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी।

बशर्ते कि 1 अक्टूबर, 2026 को और उसके बाद, सभी टाइप-I बसों, जैसा कि ऊपर उप-नियम (8) में निर्दिष्ट है, जिसकी लंबाई 9 मीटर और उससे अधिक है, के फ्लोर की ऊंचाई 400 मिमी होगी।

बशर्ते कि उपरोक्त उप-नियम (8), अधिनियम की धारा 2 के खंड (35) के तहत यथा परिभाषित सार्वजनिक सेवा वाहनों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली टाइप-I बसों पर लागू होगा।”

[फा. सं. आरटी-11036/192/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांक द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

G.S.R. 30(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in Rule 125-C, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted namely:-

“(8) All Type-I buses, on and after 1st April 2026 in case of new models and 1st October 2026 in case of all models, shall conform to the requirements of AIS-216, as amended from time to time.

Provided that on and after 1st October 2026, all Type-I buses, as specified in sub-rule (8) above, with length 9 m and above, shall have floor height of 400 mm.

Provided also that the sub-rule (8) above, shall be applicable only to Type-I buses falling under the category of public service vehicles, as defined under clause (35) of section 2 of the Act.”

[F. No. RT-11036/192/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl.Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R.(E) dated the